न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2012–2013 निगरानी – R 789-III/13

निगरानीकर्ता – 1. महेश वर्मा, आयु–40 साल

2. विजय वर्मा, आयु–37 साल

दोनों पुत्रगण श्री सीताराम वर्मा, व्यवसाय–कृषि,

निवासीगण–ग्राम परिच्छा, परगना

पोहरी, जिला शिवपुरी, म0प्र0

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण– 1. अरविन्द शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा निवासी ग्राम अतरौआ परगना पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0

2. म0प्र0शासन द्वारा जिला कलेक्टर शिवपुरी, म0प्र0

3. अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2013 जो कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2012–13 /अपील में पारित किया गया है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1. यह कि, आवेदकगण महेश कुमार एवं विजय कुमार पुत्रगण श्री सीताराम को न्यायालय तहसीलदार परगना पोहरी जिला शिवपुरी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/96–97 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 10.01.1997 द्वारा ग्राम परिच्छा अहीर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी के प0ह0 क्रमांक 54 में स्थित सर्वे नं0 1459 रकवा 1.30 हैक्टर की शासकीय भूमि में भूमि स्वामी अधिकार पूर्व से चले आ रहे कब्जे के आधार पर प्रदान कर उनके हित में विधिवत् उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया था। प्रकरण में यही भूमि विवादित भूमि है। उक्त भूमि पर आवेदकगण का पट्टा आदेश होने के पूर्व से उनकी दादी मु. सोनो बेवा केशवराम किरार का कब्जा था तथा दादी की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण का कब्जा होकर लंबे समय से लगातार चला आ रहा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-789-तीन/13 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
2/4/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	